



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 श्रावण 1948 (श0)
(सं0 पटना 1009) पटना, बुधवार, 19 अगस्त 2026

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

18 अगस्त 2026

सं० 04/पर्या०/वन-61/2026-4982/प0व0ज0प0—पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं०—सा.का.नि. 237(अ), दिनांक—31.03.2026 द्वारा प्रवृत्त 'प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2026' के द्वारा यथासंशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम-16(1) के तहत राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रभावी नियंत्रण, नियमों के कार्यान्वयन एवं दैनिक पर्यवेक्षण की सुदृढ़ निगरानी हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय निगरानी समिति" का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

1.	मुख्य सचिव, बिहार	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
6.	सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना	सदस्य
7.	नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा मनोनीत दस लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों के एक शहर के नगर आयुक्त	सदस्य

8.	नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा मनोनीत दस लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों से भिन्न शहरों के एक नगर आयुक्त	सदस्य
9.	पंचायती राज विभाग द्वारा मनोनीत जिला स्तरीय पंचायतों का एक मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी	सदस्य
10.	नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नामित अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठन के एक विशेषज्ञ।	सदस्य
11.	उद्योग विभाग द्वारा नामित उद्योग संघ के एक प्रतिनिधि	सदस्य
12.	उद्योग विभाग द्वारा नामित उद्योग क्षेत्र के एक विशेषज्ञ	सदस्य
13.	शिक्षा विभाग द्वारा नामित शिक्षा जगत का एक विशेषज्ञ	सदस्य
14.	पंचायती राज विभाग द्वारा मनोनीत पंचायती राज संस्थाओं के लिए उत्तरदायी प्रभाषी निदेशक	सदस्य
15.	नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा मनोनीत नगर प्रशासन के लिए उत्तरदायी प्रभाषी निदेशक	सदस्य सचिव

2. यह समिति प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार बैठक कर राज्य के सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अनुपालन की समीक्षा करेगी।

3. संशोधित नियमों के तहत उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों (PIBOs) द्वारा पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के अनिवार्य उपयोग (ERP) के निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के अनुपालन की कड़ाई से मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेगी।

4. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के मानदंडों (IS 14534:2023) के अनुरूप प्लास्टिक उत्पादत निर्माण, मोटाई मानकों (Minimum thickness verification) तथा रिसाइक्लिंग कोड्स (PET, HDPE आदि) के कड़े क्रियान्वयन की विधिक समीक्षा करेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव कुमार,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1009-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>